**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1133**

**दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**जन औषधि भंडार**

**1133.श्री अनिल देसाईः**

 क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आम आदमी को कम कीमत पर जरूरी दवा/औषधियां उपलब्ध कराने

 की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो यह घोषणा कब की गई थी और प्रत्येक शहर में कितने जन औषधि भंडार खोले गए

 हैं; और

(ग) इसमें उपलब्ध दवाओं/औषधियों का ब्यौरा क्या है और आम आदमी से वसूले गए औषधियों के

 तुलनात्मक मूल्य क्या हैं?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्‍यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) से (ग):** सरकार ने राष्‍ट्रीय औषधि मूल्‍य निर्धारण नीति, 2012 घोषित की है। जिसे राष्‍ट्रीय आवश्‍यक दवा सूची-2011 के अंतर्गत सूचीबद्ध आवश्‍यक दवाइयों के मूल्‍यों को मूल्‍य नियंत्रण के अंतर्गत लाने के लिए दिनांक 07.12.2012 को अधिसूचित किया गया था। इस नीति में जन औषधि स्‍टोर खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, नवंबर, 2008 में जन औषधि की स्‍कीम को शुरू किए जाने से अब तक देश में चंडीगढ़ संघ राज्‍य सहित 12 राज्‍यों में 157 ऐसे स्‍टोर खोले गए हैं। ऐसी औषधियों / दवाइयों और उनके मूल्‍यों के ब्‍यौरे वेबसाइट http://janaushadhi.gov.in पर उपलब्‍ध हैं।

\*\*\*\*\*\*